



दिनांक 01.01.2021

प्रेस विज्ञप्ति-01/21

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

नववर्ष संदेश-2021

श्री एच0सी0 अवस्थी, पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा नववर्ष के अवसर पर समस्त पुलिस कर्मियों को दिया गया सन्देश :-

नववर्ष के अवसर पर मैं आप सभी को तथा आपके परिवारजनों को हार्दिक शुभकामनायें देता हूँ। यह वर्ष आप एवं आपके परिवारजनों के जीवन में सुख-समृद्धि, उल्लास एवं आनन्द का संचार करे तथा आप सब स्वस्थ एवं आनन्दित रहें, ऐसी मेरी कामना है।

इस अवसर पर विगत वर्ष की हमारी चुनौतियों एवं हमारी उपलब्धियों का स्मरण एवं भविष्य के लिये हमारी प्राथमिकताओं का आंकलन करना अत्यन्त आवश्यक एवं महत्वपूर्ण है।

नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) एवं एन0आर0सी0 लागू होने के उपरांत प्रदेश का साम्प्रदायिक सौहार्द बनाये रखना एवं **वैश्विक महामारी कोविड-19 की गाइडलाइन्स का पालन** कराना पुलिस के लिये एक बड़ी चुनौती थी, जिसका निर्वहन उत्तर प्रदेश पुलिस ने कुशलतापूर्वक किया। इसकी न केवल प्रदेश वरन् पूरे देश में भूरि-भूरि प्रशंसा हुई।

उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा देश के सबसे बड़े **डिफेन्स एक्सपो** में त्रुटि रहित सुरक्षा प्रबंध सुनिश्चित करना, अमेरिकी राष्ट्रपति एवं उनके परिवार की सुरक्षित आगरा की यात्रा सुनिश्चित करना, अयोध्या में अत्यन्त चुनौतीपूर्ण समय में अभेद्य सुरक्षा के साथ सकुशल **राम जन्मभूमि मन्दिर शिलान्यास कार्यक्रम**, मध्यावधि विधानसभा निर्वाचन एवं

सभी पर्वों को सकुशल सम्पन्न कराकर एक बेहतर मिसाल प्रस्तुत की गयी है, जो हमारे इस प्रतिष्ठित पुलिस बल की क्षमता, कार्यकुशलता एवं दक्षता में चार चौद लगाती है। ऐसे चुनौतीपूर्ण समय में इतने उत्साह, परिश्रम एवं व्यक्तिगत खतरे मोल लेते हुए ड्यूटियों को अंजाम देना किसी भी बल के लिये गर्व का विषय है। मैं ऐसी कर्तव्यपरायणता पर बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ।

कोरोना रोकथाम हेतु उत्तर प्रदेश पुलिस बल द्वारा अपने वेतन से लगभग 21 करोड़ रुपये स्वैच्छिक योगदान देकर **कोविड-19 कोष** में जमा किये गये। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश पुलिस बल को कोरोना से लड़ने हेतु 70 करोड़ रुपये का अनुदान दिया गया, जिससे पुलिस बल में कोविड-19 संक्रमण नियंत्रित करने में बहुत सहायता मिली।

मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा अग्निशमन की सुविधाओं को उच्चिकृत व सुदृढ़ करने हेतु फायर सर्विस को 56 नई गाड़ियाँ दी गयी। उत्तर प्रदेश पुलिस के आधुनिकीकरण हेतु प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अत्याधुनिक **पुलिस एवं फोरेन्सिक साइन्स यूनिवर्सिटी** की स्थापना हेतु निर्णय लिया गया। साइबर अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण के लिये प्रदेश में 16 साइबर थानों साथ ही 10 जनपदों में सतर्कता अधिष्ठान के थानों व 04 ई0ओ0डब्लू0 के थानों की स्थापना की गयी है। प्रदेश में पुलिस आयुक्त प्रणाली के कार्यान्वयन के प्रथम वर्ष में हासिल की गयी सफलता एवं कार्यकुशलता को सभी के द्वारा सराहा जा रहा है। यूपी-100 से राष्ट्रव्यापी एकीकृत आपात सेवा-112 के परिवर्तन को क्रियान्वित करते हुए एवं उसे 1090 तथा 108 से भी सफलतापूर्वक एकीकृत किया गया है। महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा हेतु **उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल** का गठन किया गया है। इसमें प्रथम चरण में 05 वाहिनियों के गठन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। इस नये बल से उत्कृष्ट श्रेणी की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित होगी।

महिला अपराध रोकथाम एवं जागरूकता हेतु प्रदेश में **मिशन शक्ति** चलाया जा रहा है, इसके अन्तर्गत प्रत्येक थाने पर महिला हेल्प-डेस्क की स्थापना की गयी है तथा **पिंक बूथ** बनाये गये हैं एवं पिंक पेट्रोल कारें क्रियाशील की गयी हैं। महिलाओं के विरुद्ध घटित होने वाले अपराधों पर पुलिस द्वारा कड़े नियंत्रण हेतु निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं।

विगत वर्ष में प्रदेश पुलिस में 32 हजार से अधिक राजपत्रित/अराजपत्रित कार्मिकों को **विभिन्न पदों पर पदोन्नतियाँ** की गयी हैं जिनसे अपने कार्य के प्रति उत्साह की भावना परिलक्षित हुई है और उनका मनोबल भी बढ़ा है।

जहाँ एक ओर हमने **माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्यवाही** कर संगठित अपराध का खात्मा किया है, वहीं दूसरी ओर गैंगेस्टर, पेशवर हत्यारों, लुटेरों और अन्य गम्भीर अपराध करने वाले अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्यवाही की है। पुलिस द्वारा की गयी वैधानिक आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में 05 लाख रुपये का एक, 01 लाख रुपये के 06 तथा 50 हजार रुपये के 08 पुरस्कार घोषित अपराधी मारे गये तथा ढाई लाख रुपये के एक, एक लाख रुपये का 08 एवं 50 हजार रुपये के 65 **पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार** किये गये, जिससे जनता में व्याप्त भय का माहौल समाप्त हो गया है और पुलिस के प्रति विश्वास में बढ़ोत्तरी हुई है।

विगत वर्ष के सापेक्ष इस वर्ष डकैती, लूट, हत्या, बलवा, गृहभेदन, फिरौती हेतु अपहरण के गम्भीर **अपराधों में उल्लेखनीय कमी** आयी है। इसी के साथ महिला संबंधी अपराधों— बलात्कार, शीलभंग, दहेज मृत्यु, अपहरण आदि में भी कमी आयी है।

इस नववर्ष के अवसर पर हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने दायित्वों का निर्वहन पूर्ण निष्ठा, मनोयोग एवं ईमानदारी के साथ करेंगे, जिससे जनता के समक्ष एक संवेदनशील, कार्यकुशल एवं कर्तव्यनिष्ठ पुलिसिंग का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत हो। मेरी ओर से आप एवं आपके परिवार को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनायें। नववर्ष

आपके एवं आपके परिवारजनों के जीवन में सुख—समृद्धि एवं उल्लास लेकर आये तथा आप सभी स्वस्थ रहें।

जय हिन्द! जय भारत!



जनपद रायबरेली / थाना बछरावाँ

- पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अपराधी सहित
 - 04 अभियुक्त गिरफ्तार,
 - 02 चोरी की मोटर साइकिल,
 - 04 मोबाइल फोन,
 - 03 टार्च,
- 02 अवैध तमंचा 315 बोर, 03 जीवित, 02 खोखा कारतूस आदि बरामद

दिनांक 31.12.2020 की रात्रि थाना बछरावाँ व काइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान ग्राम नीबा के पास से पुलिस कार्यवाही के दौरान पुरस्कार घोषित अपराधी 1—विनोद सहित 04 अभियुक्तों 2—लल्लू उर्फ लालता 3—रंजीत 4—राजा को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 02 चोरी की मोटर साइकिल, 04 मोबाइल फोन, 03 टार्च, 02 अवैध तमंचा 315 बोर, 03 जीवित, 02 खोखा कारतूस आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी है, जिसमें अभियुक्त विनोद के विरुद्ध जनपद रायबरेली के विभिन्न थानो में लूट, अपहरण, हत्या का प्रयास, चोरी, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट, एन0डी0पी0एस0 एक्ट आदि के 27 अभियोग तथा अभियुक्त रंजीत के विरुद्ध जनपद रायबरेली व उन्नाव के विभिन्न थानो पर 14 अभियोग पंजीकृत है तथा गिरफ्तार अभियुक्त विनोद थाना भदोखर जनपद रायबरेली पर पंजीकृत मु0अ0सं0—480/2020 धारा 392 भादवि में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना बछरावाँ पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तः—

- 1—विनोद निवासी चौहट्टा कस्बा व थाना डलमऊ जनपद रायबरेली ।
- 2—लल्लू उर्फ लालता निवासी तकिया थाना बिहार उन्नाव ।
- 3—रंजीत निवासी पूरे जयसिंह थाना गदागंज जनपद रायबरेली ।
- 4—राजा निवासी बड़ा चौराहा थाना कोतवाली नगर जनपद उन्नाव ।

बरामदगीः—

- 1—02 चोरी की मोटर साइकिल,
- 2—04 मोबाइल फोन,
- 3—03 टार्च,
- 4—02 अवैध तमंचा 315 बोर, 03 जीवित, 02 खोखा कारतूस

जनपद बागपत /थाना छपरौली

- 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार,
- 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित, 01 खोखा कारतूस,
- 01 मोटर साइकिल बरामद

दिनांक 31.12.2020 की रात्रि थाना छपरौली पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान बदरखा से बाछौड़ मार्ग पर अभियुक्त की घेराबन्दी की गयी, तो अभियुक्त ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी, पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अपराधी शहजाद घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित, 01 खोखा कारतूस, 01 मोटर साइकिल बरामद हुयी। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना बड़ौत पर पंजीकृत मु0अ0सं0-798/2020 धारा 2/3 यू0पी0गैंगेस्टर एक्ट में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना छपरौली पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त:-

शहजाद निवासी जागोस थाना छपरौली जनपद बागपत।

बरामदगी:-

1-01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित, 01 खोखा कारतूस,

2-01 मोटर साइकिल

जनपद हमीरपुर/थाना जलालपुर

- लूट की घटना का अनावरण,
- 07 अभियुक्त गिरफ्तार,
- लूट के 01 लाख 90 हजार रूपये नगद,
- लूट का मोबाइल फोन,
- 02 अवैध तमंचा 315 बोर, 04 जीवित कारतूस,
- घटना में प्रयुक्त स्कार्पियो वाहन बरामद

दिनांक 31-12-2020 को थाना जलालपुर एवं काइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना जलालपुर क्षेत्र से 07 अभियुक्तों 1-दिलीप 2-शिवम् उर्फ छोटू 3-रोहित कुमार 4-मुमताज मोहम्मद 5-फरीद 6-नथू 7-विनय को गिरफ्तार कर लूट की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही पर लूट के 01 लाख 90 हजार रूपये नकद, लूट का मोबाइल फोन, 02 अवैध तमंचा 315 बोर, 04 जीवित कारतूस, घटना में प्रयुक्त 01 स्कार्पियो वाहन बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि दिनांक: 30.10.2020 को थाना जलालपुर क्षेत्र से स्कार्पियो सवार बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना जलालपुर पर मु0अ0सं0-165/2020 धारा 394 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे।

इस संबंध में थाना जलालपुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

- 1—दिलीप निवासी लुधियात पुरा कस्बा व थाना राठ जनपद हमीरपुर।
- 2—शिवम् उर्फ छोटू निवासी हासा थाना कदौरा जनपद जालौन।
- 3—रोहित कुमार निवासी बबीना थाना थाना कदौरा जनपद जालौन।
- 4—मुमताज मोहम्मद निवासी ग्राम कुर्रा थाना राठ जनपद हमीरपुर।
- 5—फरीद निवासी करमेर थाना आटा जनपद जालौन।
- 6—नथू निवासी वीरी थाना रसूलाबाद जनपद कानपुर देहात।
- 7—विनय निवासी छोटी रजऊ थाना रसूलाबाद जनपद कानपुर देहात।

बरामदगी

- 1—लूट के 01 लाख 90 हजार रूपये नकद,
- 2—लूट का मोबाइल फोन,
- 3—02 अवैध तमंचा 315 बोर, 04 जीवित कारतूस,
- 4—घटना में प्रयुक्त 01 स्कार्पियो वाहन

जनपद फतेहपुर/थाना हुसैनगंज

- अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहे 03 अभियुक्त गिरफ्तार
- 11 निर्मित/अर्द्धनिर्मित अवैध तमंचे, 06 जीवित, 02 खोखा कारतूस विभिन्न बोर,
 - शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे बरामद,

दिनांक: 01.01.2021 को थाना हुसैनगंज व काइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना हुसैनगंज क्षेत्र से अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहे 03 अभियुक्तों 1-चुन्नू 2-रामबरन 3-शुभम् को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही पर 11 निर्मित/अर्द्धनिर्मित अवैध तमंचे, 06 जीवित, 02 खोखा कारतूस विभिन्न बोर, शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना हुसैनगंज पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त :-

- 1-चुन्नू निवासी जमरावां थाना हुसैनगंज जनपद फतेहपुर।
- 2-रामबरन निवासी मुस्तफापुर थाना हुसैनगंज जनपद फतेहपुर।
- 3-शुभम् निवासी भटपुरवा थाना हुसैनगंज जनपद फतेहपुर।

बरामदगी:-

- 1-11 निर्मित/अर्द्धनिर्मित अवैध तमंचे, 06 जीवित, 02 खोखा कारतूस विभिन्न बोर,
- 2-शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे।

जनपद शाहजहाँपुर/थाना कलान

- मादक पदार्थ तस्कर गिरफ्तार,
- लगभग 01 करोड़ रुपये कीमत के 01 किलो 100 ग्राम अवैध चरस बरामद

दिनांक 01.01.2021 को थाना कलान पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर गंगोहा तिराहे से 01 मादक पदार्थ तस्कर आस मोहम्मद को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से लगभग 01 करोड़ रूपी कीमत के 01 किलो 100 ग्राम अवैध चरस बरामद हुआ।

इस सम्बन्ध में थाना कलान पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त :-

आस मोहम्मद निवासी वार्ड नं०-8 डा० नजीर के पास कस्बा व थाना उसैहत जनपद बदायूं।

बरामदगी:-

01 करोड़ रुपये अन्तराष्ट्रीय कीमत का, 01 किलो 100 ग्राम अवैध चरस ।

जनपद अमरोहा/थाना अमरोहा नगर

- चोरी की घटना का अनावरण
- 03 अभियुक्त गिरफ्तार,
- चोरी के सोने व चाँदी के आभूषण,
- चोरी के 45 हजार रुपये नगद बरामद

दिनांक 31.12.2020 को थाना अमरोहा नगर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम सलेमपुर जाने वाली सड़क पर सरकारी ट्यूबेल के पास से तीन अभियुक्तों 1-सोनू उर्फ आबाद 2-शोएब 3- मो० आरिफ को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार

अभियुक्तों के कब्जे से चोरी के सोने व चाँदी के आभूषण (01 गले का हार 03 जोड़ी कुण्डल, 04 कडे, 10 अंगूठी, 04 पायल), एवं चोरी के 45 हजार रुपये नगद बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 16.12.2020 को थाना अमरोहा नगर क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके संबंध में थाना अमरोहा नगर पर मु0अ0सं0 549/2020 धारा 380 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण व रुपये उक्त घटना से संबंधित है।

इस संबंध में थाना अमरोहानगर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

- 1-सोनू उर्फ आबाद निवासी मोहल्ला अर्जुन टाकीज थाना अमरोहा नगर जनपद अमरोहा।
- 2-शोएब निवासी मौचकली थाना अमरोहा नगर जनपद अमरोहा।
- 3-मो0 आरिफ निवासी मौछेंबड़ा थाना अमरोहा नगर जपद अमरोहा।

बरामदगी-:

- 1-चोरी के सोने व चाँदी के आभूषण (01 गले का हार 03 जोड़ी कुण्डल, 04 कडे, 10 अंगूठी, 04 पायल),
- 2- चोरी के 45 हजार रुपये नगद।

जनपद बिजनौर/थाना नहतौर

- 15 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार

दिनांक 01.01.2021 को थाना नहतौर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर जंगल ग्राम सिजौली से पुरस्कार घोषित अपराधी फिरोज को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना नहतौर पर पंजीकृत मु0अ0सं0–361/2020 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना नहतौर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

फिरोज निवासी सिजौली थाना नहतौर जनपद बिजनौर।

जनपद कुशीनगर/थाना पटहेरवा

- 01 अभियुक्त गिरफ्तार,
- अपहृत सकुशल बरामद

दिनांक: 01.01.2021को थाना पटहेरवा व काइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बरदान हास्पिटल एन0एच0–28 थाना क्षेत्र कसया से अपहृत बालक को सकुशल बरामद कर अपहरणकर्ता (मास्टर माइण्ड) यशवन्त को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि दिनांक: 30.12.2020 को थाना पटहेरवा क्षेत्र से 07 वर्षीय बालक का अपहरण कर फिरौती माँगने के सम्बन्ध में थाना पटहेरवा पर मु0अ0सं0–509/2020 धारा 363 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर अपहृत की बरामदगी व अपहरणकर्ता की गिरफ्तारी के तत्परता से प्रयास किये जा रहे थे।

इस सम्बन्ध में थाना पटहेरवा पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त—:

यशवन्त निवासी सरया बुर्जुग टोला रामकोला चट्टी थाना पटहेरवा जनपद कुशीनगर।

**एसटीएफ: हत्या/लूट करने वाले अर्न्तजनपदीय गिरोह के रू0
25,000 /–के पुरस्कार घोषित कुख्यात अपराधी सुभाष यादव उर्फ
धीरज उर्फ नेता अपने गिरोह के 04 सदस्यों के साथ पुलिस मुठभेड़ में
गिरफ्तार**

दिनांक 01-01-2021 को एस0टी0एफ0, उ0प्र0 को हत्या/लूट करने वाले अर्न्तजनपदीय गिरोह के रू0 25,000 /–के पुरस्कार घोषित कुख्यात अपराधी सुभाष यादव उर्फ धीरज उर्फ नेता एवं उसके गिरोह के 04 सदस्यों को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार करते हुये कई घटनाओं को घटित होने से रोकने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:–

- 1– सुभाष यादव उर्फ धीरज उर्फ नेता पुत्र स्व0 घुरहू यादव निवासी बम्भावन, थानागद्दी, थाना केराकत, जनपद जौनपुर।
- 2– सुरे”ा यादव पुत्र सियाराम यादव निवासी अतरौरा, थाना केराकत, जनपद जौनपुर।
- 3– सूरज यादव पुत्र छग्गन यादव निवासी उमरवार, थाना चन्दवक, जनपद जौनपुर।
- 4– वीरेन्द्र कुमार पाल पुत्र छोटेला लाल पाल निवासी लक्षीपुर गोगवा, थाना जन्सा, जनपद वाराणसी।
- 5– िवपूजन पटेल पुत्र लालजी पटेल निवासी गोगवा, थाना जन्सा, जनपद वाराणसी।

बरामदगी:–

- 1– 09एमएम पिस्टल–01अदद।
- 2– 09एमएम जिन्दा कारतूस–05अदद।
- 3– 09एमएम खोखा कारतूस–02अदद।
- 4– 315बोर तमंचा–01अदद।
- 5– 315बोर जिन्दा कारतूस–01अदद।
- 6– टाटा इण्डिगो कार–01अदद।
- 7– सुपर स्पलेण्डर मोटरसाइकिल–01अदद।
- 8– स्पलेण्डर मोटरसाइकिल–01अदद।
- 9– मोबाइल फोन–06अदद
- 10– नगद–1500 /–रूपये।
- 11– कूटरचित परिचय पत्र–05अदद।

गिरफ्तारी का स्थान/दिनांक:—

कैथवली मोड पिण्डरा थाना फूलपुर जनपद वाराणसी। दिनांक 01-01-2021।

विगत काफी दिनों से उत्तर प्रदेश के जनपदों में वांछित पुरस्कार घोषित अपराधियों के सक्रिय होकर आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिये जाने की सूचनायें प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके क्रम में एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, वाराणसी की टीम द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के दौरान आज दिनांक 01-01-2021 को एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, वाराणसी को वि"वस्त सूत्रों के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि हत्या/लूट करने वाले अर्न्तजनपदीय गिरोह के रू0 25,000/- का पुरस्कार घोषित कुख्यात अपराधी सुभाष यादव उर्फ धीरज उर्फ नेता अपने गिरोह के साथ किसी घटना को अन्जाम देने के लिये पिण्डरा की तरफ आने वाला है। यदि शीघ्रता की जाये तो पूरा गिरोह पकड़ा जा सकता है। इस सूचना पर निरीक्षक अमित श्रीवास्तव के नेतृत्व में एस0टी0एफ0 टीम ने मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान पर पहुंचकर पुलिस मुठभेड में अपराधी सुभाष यादव उर्फ धीरज उर्फ नेता को उसके 04 साथियों सहित गिरफ्तार कर लिया गया, जिनसे उपरोक्त बरामदगी हुई, जबकि मौके से दो अपराधी फरार हो गये।

गिरफ्तार अभियुक्त सुभाष यादव उर्फ धीरज उर्फ नेता ने पूछताछ के दौरान बताया कि वर्ष 2012 में अपने गाँव के ही रहने वाले हरि यादव के कहने पर मैंने थाना केराकत के ग्राम छितौनी के रहने वाले अच्छे लाल मौर्या की हत्या कर दी थी, जिसमें मैं गिरफ्तार होकर जेल चला गया। जमानत पर छूटने के बाद मैंने अपने साथियों के साथ मिलकर वर्ष 2016 में मुखबिरी करने का शक होने के कारण उदय वि"वकर्मा व राजू सेठ को वाराणसी से ले जाकर चन्दवक क्षेत्रान्तर्गत गोबरा गाँव में हत्या कर दिया था। इसके बाद केराकत थाना क्षेत्रान्तर्गत गोलाबाजार में सर्राफा व्यापारी से लूट किया था। उक्त दोनों मामलो मे गिरफ्तार होकर जेल चला गया। इसी दौरान मेरे गांव के पास के ही गांव बेहडा के रहने वाले आद"रि सिंह से मेरी दोस्ती हो गयी। आद"रि के गैंग में पहले से ही बहुत से लूट करने वाले अपराधी मौजूद थे, जिनसे हमलोगों ने अपना एक मजबूत गैंग बना लिये। हमलोगों ने हवाला का कारोबार करने वाले तथा समूह बनाकर पैसा के लेन-देन करने वालों के साथ कई लूट की घटनायें की, जिसका मुकदमा सामान्य तौर पर इस तरह के कारोबारी नही कराते हैं, जिसका फायदा उठाकर हमलोग लूट की घटनायें करते रहे। अपने गांव के पास मैंने एक लूट की घटना किया, जिसमें गिरफ्तार होकर वर्ष 2018 में जेल चला गया। जेल में ही मैंने व आद"रि सिंह ने बेहडा गांव के रहने वाले संजय सिंह की हत्या की योजना बनायी थी। आद"रि सिंह आपसी रंजि"रि के कारण संजय सिंह की हत्या कराना चाहता था। हमलोगों की योजना थी कि संजय

सिंह की हत्या के बाद एक-दो बड़ी लूट करके पर्याप्त धन एकत्रित कर फरार हो जायेंगे। हमलोगों अपनी पहचान छुपाने के लिये कूटरचित परिचय पत्र भी बनवा लिया था।

सुभाष यादव उर्फ धीरज उर्फ नेता ने पूछताछ के दौरान यह भी बताया कि इस योजना के तहत आदर सिंह, गोरखपाल, सुरेश यादव, सूरज यादव तथा गोरखपाल के रिश्तेदार वीरेन्द्र कुमार पाल को साथ लेकर संजय सिंह बेहडा की रैकी करने निकले थे और मौका मिलते ही आज से लेकर कल तक हमलोग संजय सिंह बेहडा की हत्या कर देते। इसके बाद हमलोग जनपद आजमगढ़ के बूढनपुर के निकट कोयलसा बाजार में सर्राफा व्यवसायी के यहाँ लूट करते और इसके बाद मुम्बई भाग जाते, परन्तु आज पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त सुभाष यादव ने पूछताछ में यह बताया कि आज हमलोगों के साथ आदर सिंह एवं गोरखपाल भी मौजूद था, जो मौके का फायदा उठाकर फरार हो गया। सुभाष यादव उर्फ धीरज उर्फ नेता जनपद जौनपुर के थाना चन्दवक पर पंजीकृत मु0अ0सं0 201/2019 धारा 392/411/120बी भादवि में फरार चल रहा था, जिसमें इसके ऊपर रू0 25,000/- का पुरस्कार घोषित था। इसके अतिरिक्त यह जनपद आजमगढ़ के थाना देवगांव पर पंजीकृत मु0अ0सं0 99/2020 धारा 392/411भादवि में भी वांछित चल रहा था।

उपरोक्त गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना फूलपुर जनपद वाराणसी पर मु0अ0सं0 01/2021 धारा 307/34/419/420/467/468 भादवि व मु0अ0सं0 02/2021 व 03/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम आवयक विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।
